फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

हेतराम आदि बनाम मालाराम

किस्म मुकदमाः– 251–क, 209 आर0टी0ए0 प्रकरण संख्याः–186/2024 (GCMS No. 2024/436)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.03.25		

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण व अप्राथी संख्या–01 के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके रोही किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 145/183 के खसरा नं. 345/1 मे 4.668 हैक्टर बारानी खातेदारी भूमि बहिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड है। रोही किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 1/1 के खसरा नं. 342 में 0.569 हैक्टर रकबा राज भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी रकबा वाके रोही किशनपुरा के खाता संख्या 145/183 के खसरा नं. 345/1 में 4.668 हैक्टर बारानी खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु उत्तर से दक्षिण टिलांवाली से रांयावाली को जाने वाले स्वीकृतशुदा रास्ता से होते हुए रोही किशनपुरा के खसरा नं. 342 के दक्षिणी पासा में आराजीराज रकबा से 6.00 बीघा लम्बाई व 16.5 फुट चौड़ाई पश्चिम से पूर्व में चालू रास्ता से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन लगभग 50 वर्षो से करते आ रहे है। किन्तु उक्त चालू रास्ता रिकार्ड में स्वीकृत नही है। प्रार्थीगण काफी लम्बे समय से स्वीकृत रास्ता से होते हुए खसरा नं. 342 में आराजीराज रकबा में कदीमी चालू रास्ता प्रार्थीगण से अपने खेत में आवागमन करते हुए आ रहें है। उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही लगता है। यदि उक्त रकबा अन्य किसी को आवंटन हो गया तो प्रार्थीगण का रास्ता बन्द हो जायेगा। रास्ता बंद होने से प्रार्थीगण की फसल बरबाद हो जावेगी। प्रार्थीगण उक्त रास्ता स्वीकृत करने पर उसके बदला में वर्तमान डी0एल0सी0 दर से राशि जमा करवाने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसील सूरतगढ़ की रोही किशनपुरा के खसरा नं. 342 के दक्षिणी पासा में आराजी राज रकबा में 6.00 बीघा लम्बाई में व 16.5 फुट चौड़ाई पश्चिम से पूर्व में चालू रास्ता को स्वीकृत करने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया एवं संलग्न दस्तोवजों का अध्ययन किया। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या–01 के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके रोही किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 145/183 के खसरा नं. 345/1 मे 4.668 हैक्टर बारानी खातेदारी भूमि बहिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार सूरतगढ़ की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के रकबा को रास्ता नही लगता है। प्रार्थीगण ने इसी रोही के खसरा नं. 342 की 2.087 हैक्टर बारानी भूमि में से दक्षिणी पासा में पूर्व से पश्चिम रास्ता करने की अनुशंषा की है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड खसरा नं. 342 का रकबा गोपाल पुत्र मलूराम के नाम 0.316 हैक्टर, सुमित्रा पत्नि ओमप्रकाश तथा शेष 0.569 हैक्टर रकबा आराजीराज दर्ज है। मुताबिक लट्ठा नक्शा उक्त खसरा का खातेदारान तथा आराजी राज रकबा तरमीमशुदा नही है। प्रार्थीगण ने जानबुझकर उक्त खसरा के खातेदारान को पक्षकार नही बनाया ऐसा प्रतीत होता है। चूंकि मुताबिक रिकार्ड प्रस्तावित रकबा तरमीम नही होने से रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थीगण [illegible] खसरा नं. 342 के समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया जाता था, [illegible] उन्होंने प्रार्थना पत्र में हितबद्ध को पक्षकार नही बनाया है। अतः [illegible] हितबद्ध काश्तकार को पक्षकार नही बनाने से निरस्त किया जाना उचित [illegible] होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जा[illegible] है। प्रार्थीगण नया प्रार्थना प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:04:55 IST
Reason: SelfAttested

(सन्दीप कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़